भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2874

28 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात का उत्पादन

2874. डॉ. अमी याज्ञिक:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कुल इस्पात उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस्पात के आयातों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु स्तरोन्नयन करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अथवा वित्तीय रूप से समर्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बढ़ावा दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कच्चे इस्पात के उत्पादन के विवरण निम्नवत है:

कच्चे इस्पात का पीएसयू-वार उत्पादन (मिलियन टन में)			
पीएसयू	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	16.27	16.16	15.22
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	5.23	4.76	4.30
कुल पीएसयू	**21.50**	**20.92**	**19.52**
स्रोत: सेल और आरआईएनएल			

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका केवल एक सुविधाप्रदाता तक सीमित है। सरकार दक्षता हेतु एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में नीतिगत दिशानिर्देश प्रदान

करती है तथा इस्पात क्षेत्र की चिंताओं का निपटान करती है। प्रौद्योगिकीय और वित्तीय निवेश से संबंधित निर्णय अलग-अलग कंपनियों द्वारा उनकी आवश्यकताओं एवं वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिये जाते हैं। ये उनके अपने संसाधनों से पूरे किए जाते हैं। विगत तीन वर्षो, के दौरान, भारत सरकार ने आयात को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

(i) सरकार ने इस्पात क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देकर देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण का संवर्धन करने के लिए 6322 करोड़ रुपये के 5 वर्षीय वित्तीय परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) को मंजूरी दे दी है।

(ii) इस्पात के आयात के संदर्भ में अंतिम उपयोग, आईएस ग्रेड इत्यादि जैसे विस्तृत विवरण की पूर्व उपलब्धता को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत, दिनांक 5 सितंबर, 2019 को डीजीएफटी द्वारा इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 1 नवंबर, 2019 से प्रभावी हो गया। इसके अध्याय-72,73 और 86 के तहत आयातक को सभी टैरिफ लाइनों के आयात के लिए अग्रिम सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

****